

आयुक्त/अधिकाारी
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

अति आवश्यक

विषय:—महंगाई राहत कैम्पों में रजिस्ट्रेशन से वंचित परिवारों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में।

प्रसंग:—संयुक्त शासन सचिव, आयोजना के पत्रांक प.6(1)आयो./गुप-3/2023 दिनांक 11.09.2023 एवं 12.09.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के क्रम में लेख है कि दिनांक 12.09.2023 को माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रातः 11:00 बजे आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान महंगाई राहत कैम्पों में पंजीकरण से वंचित परिवारों के शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिलों को आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध रजिस्टर्ड परिवारों का विवरण परिशिष्ट-1 के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

कृपया रजिस्ट्रेशन से वंचित परिवारों का दिनांक 20.09.2023 तक शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त कार्य हेतु शहरी नरेगा मेट, रोजगार सहायक एवं राजीव युवा मित्रों को वंचित परिवारों की सूची का विवरण उपलब्ध करवाते हुए घर-घर जाकर संपर्क कर पंजीकरण का कार्य करवाने हेतु पाबंद किया जावें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: एफ.56(क)सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2023-24/ 20529-20530

दिनांक: 13/09/2023

प्रतिलिपी:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
4. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक समस्त राजस्थान।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक (IRGY), स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
7. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यों की नियमित समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करें।
8. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Document certified by Hridesh Kumar
Sharma <hridesh_05@yahoo.com>.

Digitally Signed by Hridesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date :13-09-2023 03:28:05